राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 509/2014

पुखाराम चौधरी

—अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर, पाली।
2. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.02.2024

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जिस पर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष यह अपील दायर की थी, जिसका फैसला अधिकरण द्वारा दिनांक 09.01.2009 को हुआ। जिसके तहत अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश पारित हुये। विभाग द्वारा अधिकरण से निर्णित फैसले के बाद चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जो श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली द्वारा दिनांक 27.12.2011 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान वर्ष 2013 में किया गया। वस्तुतः अपीलार्थी को वर्ष 2013 में 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवाओं पर संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया गया और पेंशन एवं एरियर राशि का भुगतान किया गया, परन्तु एरियर राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के पक्ष में 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश अधिकरण द्वारा दिनांक 09.01.2009 को पारित हो चुका था तो उसका भुगतान वर्ष 2013 में किये जाने में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अत्यधिक देरी की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये

जाते हैं कि अपीलार्थी को जो चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर वेतन व पेंशन की ऐरियर राशि दी गयी है, उस राशि पर अधिकरण के फैसले की दिनांक 09.01.2009 से 9 प्रतिशत ब्याज राशि भी अदा की जाए।

3. इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)